राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–3/जांच) विभाग

क्रमांकः प.1(107)कार्मिक/क–3/2006 जयपुर, दिनांक 31.08.2006

परिपत्र

विषयः– सेवानिवृत्त एवं शीघ्र ही सेवानिवृत्त होने वाले राजसेवकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने के संदर्भ में दिशा–निर्देश।

राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्ति के सन्निकट राजसेवकों के संदर्भ में अनुशासनिक जांच कार्यवाही प्रारम्भ/सम्पादित करने के दिशा–निर्देश पूर्ववर्ती परिपत्र दिनांक 30.4.99, 3.3.2001 एवं 30.9.2002 द्वारा प्रसारित कर रखे हैं। (संदर्भ हेतु कार्मिक विभाग की वेबसाइट http://dop.rajasthan.gov.in देखें)

उक्त परिपत्रों में स्पष्ट रूप से निर्देश अभिलेखित हैं कि इस प्रकार के प्रकरणों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित करने में विलम्ब नहीं करना चाहिये और जांच कार्यवाही आरम्भ किये जाने के प्रस्ताव यथाशीघ्र तैयार कर आरोप पत्र प्रसारित हो जाने चाहिये।

राज्य सरकार के ध्यान में आया हैं कि उक्त दिशा–निर्देशों के बावजूद भी अनेक वर्ष पूर्व की घटना से संबंधित प्रकरणों में भी अनुशासनिक जांच कार्यवाही के प्रस्ताव सेवानिवृत्ति के दिन अथवा सेवानिवृत्ति के कुछ दिवस पूर्व अनुशासनिक प्राधिकारी को अग्रेषित किये जा रहे हैं।

राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्ति के सन्निकट राजसेवकों के संदर्भ में आरोप पत्र जारी करने में इस प्रकार के विलम्ब को गम्भीरता से लिया है और इस संदर्भ में पूर्व में पारित दिशा–निर्देशों की ओर ध्यानाकर्षित कर स्पष्ट किया जाता है कि:–

1. सेवानिवृत्त राजसेवकों के संदर्भ में अनुशासनिक जांच कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग के माध्यम से राज. सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करना पूर्व निर्धारित शर्त है, यह अनुमोदन उन्हीं प्रकरणों की विषयवस्तु के संदर्भ में प्राप्त किया जाना है जिनमें राजसेवक का कृत्यः–

(1) गम्भीर दुराचरण,
(2) घोर लापरवाही,
(3) आर्थिक हानि, से संबंधित हो और
(4) घटना 4 वर्ष की अवधि में ही हों।

अतः महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रकरण प्रस्तुत करने से पूर्व उक्त बिन्दूओं का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।

2. सेवानिवृत्ति के सन्निकट राजसेवकों के संदर्भ में:– वर्तमान में प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्षों के समक्ष महालेखाकार का ऑडिट पैरा, आंतरिक ऑडिट पैरा, जन लेखा समिति के निर्देश, प्राथमिक जांच एवं अन्य प्रतिवेदन इत्यादि लम्बित हैं जिनमें राजसेवकों के विरूद्ध पद का दुरूपयोग, गम्भीर दुराचरण, घोर लापरवाही, गबन, राजकोष को हानि, वित्तीय अनियमितताएं एवं अन्य प्रकार के प्रस्तावित आरोप सम्मिलित हैं लेकिन यह ध्यान में आया है कि इन प्रकरणों पर यथासमय कार्यवाही नहीं की जाती है और जब राजसेवक की सेवानिवृत्ति का समय नजदीक आता जाता है तो आनन–फानन में उसके विरूद्ध आरोप पत्र प्रसारित किये जाते है जबकि प्रकरण की विषयवस्तु 5 से 10 वर्षों तक पुरानी भी होती है।

प्रत्येक राजसेवक की सेवानिवृत्ति में जब 2 वर्ष शेष रह जावें तब से ही राजसेवक के सेवा अभिलेख का उसके सभी पदस्थापनों के संदर्भ में परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि क्या उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का प्रकरण प्रस्तावित स्थिति में लम्बित तो नहीं है? इस कार्यवाही को अधिकतम 6 माह की अवधि में पूरी करके आरोप पत्र प्रसारित करवाने का उत्तरदायित्व राजसेवक के नियुक्ति प्राधिकारी का होगा।

3. **असाधारण विलम्ब के प्रकरणों में स्पष्टीकरणः**—राजसेवकों के विरूद्ध पुराने प्रकरणों की विषयवस्तु के संदर्भ में आरोप पत्र प्रसारित किये जाते हैं जबकि न्यायालय द्वारा इस प्रकार के विलम्ब पर कठोर एवं गम्भीर रुख अपनाया जाता है क्योंकि विलम्ब का कोई न्यायोचित स्पष्टीकरण उल्लेखित नहीं किया जाता है।

इस प्रकार के प्रकरणों में अनुशासनिक प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्तावों के साथ विलम्ब के कारण एवं परिस्थितियां जिनके आधार पर यह विलम्ब न्यायोचित माना जा रहा है, प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

4. विलम्ब के लिये उत्तदायित्वः— सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्ति के सन्निकट राजसेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही यथासमय प्रस्तावित नहीं करने एवं विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।

5. राज्यस्तरीय सेवा के अधिकारियों के प्रकरणः— प्रशासनिक विभागों से प्राप्त होने वाले राज्यस्तरीय सेवाओं के अधिकारियों के अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव (चालू वर्ष के प्रकरणों को छोड़कर) विलम्ब के न्यायोचित कारणों सहित मुख्य सचिव महोदय के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकार किये जायेंगे।

अतः सभी संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा—निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें एवं सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्ति के सन्निकट राजसेवकों के संदर्भ में प्रस्तावित अनुशासनिक जांच कार्यवाही के प्रकरणों का उपरोक्त निर्देशों के अंतर्गत शीघ्रता से निस्तारण करवायें।

(मुकेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः—

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
3. समस्त विभागाध्यक्ष (मय जिला कलक्टर्स)
4. उप सचिवगण, कार्मिक (क—3/जांच) विभाग।
5. सहायक विधि परामर्शी/मुख्य विधि सहायक, कार्मिक (क—3/जांच) विभाग।
6. प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।

उप विधि परामर्शी